उपकार

# प्रैक्टिस सैट

# झारखण्ड

# संयुक्त इण्टरमीडिएट स्तरीय प्रारम्भिक परीक्षा

*सम्पादक मण्डल*
*सामान्य ज्ञान दर्पण*

उपकार प्रकाशन, आगरा

उपकार प्रकाशन

"Your Feedback, Our Guidance"

SCAN ME!

Scan and Share Your Experience With Us

© प्रकाशक

**प्रकाशक**

**उपकार प्रकाशन**

**हैड ऑफिस :** 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, निकट खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, **आगरा**–282 005

**रजि. ऑफिस :** 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर (शाह सिनेमा के सामने), **आगरा**–282 002

**फोन :** 2530966, 2531101

**E-mail :** care@upkar.in, **Website :** www.upkar.in

**ब्रांच ऑफिस :**

8-310/1, ए. के. हाउस,
हीरानगर, **हल्द्वानी,**
**जिला–नैनीताल**–263 139 (उत्तराखण्ड)
**मोबा. :** 7060421008

- *इस पुस्तक का सम्पूर्ण कॉपीराइट प्रकाशक के पास है. प्रकाशक से बिना लिखित अनुमति लिए, इस पुस्तक के किसी भी भाग को दोबारा बनाया नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं किया जा सकता या किसी भी तरह से, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी और माध्यम से नहीं भेजा जा सकता. ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और वह नुकसान के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा.*
- *इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा.*
- *किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा.*

ISBN : 978-93-6319-068-9

**Code No. 2431**

**मुद्रक :** उपकार प्रकाशन (उपकार स्टेशनरी प्रा लि) बाईपास रोड, आगरा

# विषय-सूची


- प्रैक्टिस सैट 1 ..... 3–12
- प्रैक्टिस सैट 2 ..... 13–21
- प्रैक्टिस सैट 3 ..... 22–30
- प्रैक्टिस सैट 4 ..... 31–39
- प्रैक्टिस सैट 5 ..... 40–49
- प्रैक्टिस सैट 6 ..... 50–59
- प्रैक्टिस सैट 7 ..... 60–70
- प्रैक्टिस सैट 8 ..... 71–81
- प्रैक्टिस सैट 9 ..... 82–92
- प्रैक्टिस सैट 10 ..... 93–102
- प्रैक्टिस सैट 11 ..... 103–112
- प्रैक्टिस सैट 12 ..... 113–121
- प्रैक्टिस सैट 13 ..... 122–131
- प्रैक्टिस सैट 14 ..... 132–141
- प्रैक्टिस सैट 15 ..... 142–152
- प्रैक्टिस सैट 16 ..... 153–163
- प्रैक्टिस सैट 17 ..... 164–175
- प्रैक्टिस सैट 18 ..... 176–186
- प्रैक्टिस सैट 19 ..... 187–197
- प्रैक्टिस सैट 20 ..... 198–208

# परीक्षा सम्बन्धी जानकारी

## ● पद का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता

| क्र.सं. | पदनाम | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) |
|---|---|---|
| 1. | स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य निदेशालय) | मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 – विज्ञान या I.Sc. परीक्षा उत्तीर्ण |
| 2. | कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) | मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट/10+2 – (गणित सहित) परीक्षा उत्तीर्ण |
| 3. | बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) | मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 – विज्ञान या I.Sc. परीक्षा उत्तीर्ण |
| 4. | भेटनरी सहायक/चिकित्सा सहायक (नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग) | किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट |
| 5. | कीट संग्रहकर्त्ता (स्वास्थ्य निदेशालय) | मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट/10+2 जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण |
| 6. | मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग) | मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट/10+2 – जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण |

**शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अन्तिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जाएगा. यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे अयोग्य समझे जाएंगे.**

## ● आयु सीमा (निर्धारित तिथि को)

1. न्यूनतम उम्र सीमा–18 वर्ष
2. अधिकतम उम्र सीमा–
   (i) अनारक्षित/सामान्य–35 वर्ष
   (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)—35 वर्ष
   (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 (पुरुष) 37 वर्ष
   (iv) महिला—38 वर्ष
   [अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)]
   (v) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)—40 वर्ष
   (vi) **सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट होगी. निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सक्षम चिकित्सा पर्षद से निर्गत होना चाहिए. सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम-से-कम 40% अथवा उससे अधिक हो.**

## ● आरक्षण

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

(II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा. झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जाएंगे.

(III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे. आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करने अनिवार्य होंगे–

(i) जाति प्रमाण-पत्र जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र.

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा.

## ● परीक्षा का स्वरूप

**परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :** परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परन्तु परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं की जाएगी. उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के सम्बन्ध में आयोग निर्णय ले सकेगा.

सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे. सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी. प्रश्न-पत्र में प्रश्नों की संख्या 120 तथा परीक्षा की अवधि 2 घण्टे की होगी. परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी.

**प्रारम्भिक परीक्षा**

(i) प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा के विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत् होगी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | सामान्य अध्ययन | — | 30 प्रश्न |
| (ख) | झारखण्ड राज्य से सम्बन्धित ज्ञान | — | 60 प्रश्न |
| (ग) | सामान्य गणित | — | 10 प्रश्न |
| (घ) | सामान्य विज्ञान | — | 10 प्रश्न |
| (ङ) | मानसिक क्षमता जाँच | — | 10 प्रश्न |
| | **कुल** | | **120 प्रश्न** |

### प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

(क) **सामान्य अध्ययन**–इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा. वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी सम्बन्धी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है. इसमें झारखण्ड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं. **समसामयिक विषय**, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं. भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी.

(ख) **झारखण्ड राज्य से सम्बन्धित ज्ञान**—झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि.

(ग) **सामान्य गणित**–इस विषय में सामान्यतः अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे. सामान्यत–इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे.

(घ) **सामान्य विज्ञान**–सामान्य विज्ञान के प्रश्न-पत्र में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है.

(ङ) **मानसिक क्षमता जाँच**–इसमें शाब्दिक एवं गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं–सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारणा, अंकगणितीय संख्या शृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या.

**प्रारम्भिक परीक्षा अन्तर्गत न्यूनतम अंक सम्बन्धी प्रावधान**—प्रारम्भिक परीक्षा अन्तर्गत न्यूनतम अंक सम्बन्धी प्रावधान निम्नवत् तालिका अनुसार होगीः–

| क्र.सं. | आरक्षण कोटि | न्यूनतम प्राप्तांक |
|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 40 (चालीस) प्रतिशत |
| 2. | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला | 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| 3. | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) | 34 (चौंतीस) प्रतिशत |
| 4. | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 | 36·5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत |
| 5. | आदिम जनजाति | 30 (तीस) प्रतिशत |

## ● मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे. प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि दो घण्टे की होगी. प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे. सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी.

**पत्र 1–विषय : (भाषा ज्ञान)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) हिन्दी भाषा ज्ञान | — | 60 प्रश्न | हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रत्येक में अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न एवं व्याकरण आधारित 40 प्रश्न होंगे. |
| (ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान | — | 60 प्रश्न | |
| **कुल** | — | **120 प्रश्न** | |

**पत्र 2—(क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान)**

हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी (मुण्डा), हो/खड़िया, कुडूख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे. इस परीक्षा में सम्बन्धित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे.

**पत्र 3–विषय : (सामान्य ज्ञान) दूसरी पाली**

| | | |
|---|---|---|
| सामान्य अध्ययन | — | 30 प्रश्न |
| झारखण्ड राज्य से सम्बन्धित ज्ञान | — | 40 प्रश्न |
| सामान्य विज्ञान | — | 20 प्रश्न |
| सामान्य गणित | — | 10 प्रश्न |
| मानसिक क्षमता जाँच | — | 10 प्रश्न |
| कम्प्यूटर का ज्ञान | — | 10 प्रश्न |
| **कुल** | — | **120 प्रश्न** |

**टिप्पणी–** (1) पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत होगा. न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएंगे. पत्र-1 अर्हक (Qualifying) प्रकृति का होगा. पत्र-1 में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा.

(2) पत्र-2 क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा तथा पत्र-3 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत होगा.

(3) पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र-2 एवं पत्र-3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा.

# मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

## पत्र–1 : भाषा ज्ञान

(क) **हिन्दी भाषा का ज्ञान–**

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न — 20 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे.

(ख) **अंग्रेजी भाषा का ज्ञान–**

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न — 20 प्रश्न

(घ) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे.

## पत्र-2 : क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान

इस पत्र का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की Website पर देखें.

## पत्र-3 : सामान्य ज्ञान

(क) **सामान्य अध्ययन**–इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करनी होगी. वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी सम्बन्धी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है. इसमें झारखण्ड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं. **समसामयिक विषय**–वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं. भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना.

(ख) **झारखण्ड राज्य से सम्बन्धित ज्ञान**–झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि.

(ग) **सामान्य गणित**–इस विषय में सामान्यतः अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे. सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे.

**(घ) सामान्य विज्ञान**–सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है.

(ङ) **मानसिक क्षमता जाँच**–इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे. इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :–

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या शृंखला एवं कूट व्याख्या इत्यादि.

(च) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic Knowledge of Computer)**—इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं.

प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों का चयन, मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारम्भिक परीक्षा की मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा जिसमें उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षित पदों की संख्या के पन्द्रह गुणा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हों.

## ● मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण

(i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के प्रश्न-पत्र 2 एवं प्रश्न-पत्र 3 में कुल प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जाएगी और मेधा-सह-विकल्प (Merit-cum-Option) के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा.

(ii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा. यदि

एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जाएगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गए नाम को आधार माना जाएगा.

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा-सूची में समान मापदण्ड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा.

(iv) परीक्षा के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जाएगी और तदुपरान्त रिक्तियों के अनुसार आरक्षणवार सूची गठित होगी. परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जाएगा–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (I) | अनारक्षित/सामान्य वर्ग | — | 40 प्रतिशत |
| (II) | अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं महिला | — | 32 प्रतिशत |
| (III) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) | — | 34 प्रतिशत |
| (IV) | पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) | — | 36·5 प्रतिशत |
| (V) | आदिम जनजाति | — | 30 प्रतिशत |
| (VI) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | — | 40 प्रतिशत |

उपर्युक्तानुसार सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटि वार चयन सूची गठित होगी.

(v) परीक्षा के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथासमय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की जाँच करायी जाएगी. प्रमाण-पत्रों की जाँच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, **तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा-सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जाएगा.**

अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के अन्तिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों का अंक आयोग की वेबसाईट पर upload होगा. **प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी नहीं दी जाएगी.**

## ● नियुक्ति

(i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जाँच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाए, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्याधीन होगी.